भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1074
दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अवैध प्रवासन और वीजा संबंधी धोखाधड़ी के विरुद्ध उपाय

1074. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ईरान जैसे देशों के सम्बन्ध में हाल ही में विदेश मंत्रालय की सलाह को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व में भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाले अवैध प्रवासन सिंडिकेट एवं वीजा संबंधी धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अवैध भर्ती नेटवर्क को समाप्त करने एवं धोखाधड़ी वाली विदेशी रोजगार प्रथाओं को रोकने के लिए मंत्रालय, राज्य सरकारों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य क्या समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) सुरक्षित एवं विधिसम्मत प्रवासन को प्रोत्साहन देने हेतु ई-माइग्रेट पोर्टल जैसे जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं एवं डिजिटल मंच सहित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है और सीमा नियंत्रण को सुदृढ़ करने, प्रवासन रुझानों की निगरानी करने एवं विदेशों में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भविष्य के प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से घ**)** सरकार विदेशों में रोजगार के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा**,** संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जब भी अवैध प्रवासन सिंडिकेट और वीजा धोखाधड़ी के मामलों के साथ**-**साथ**,** विभिन्न चैनलों के माध्यम से अवैध एजेंटों**/**संदिग्ध फर्मों द्वारा जाली भर्ती प्रस्तावों के जरिए भारतीय युवाओं को प्रलोभन देने के विरुध शिकायतें प्राप्त होती हैं**,** तो ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता **(**बीएनएस**)** के संगत कानूनी प्रावधानों और कुछ राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य पुलिस को प्रेषित किया जाता है।

भारत सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसने भारतीय नागरिकों को जाली नौकरी प्रस्तावों और अनधिकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए नियमित परामर्शी जारी की है और संबंधित देशों में स्थित भारतीय मिशनों / केंद्रों के माध्यम से रोजगार क्रेडेंशियल्स को सत्यापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत सरकार ने ई-माइग्रेट प्लेटफॉर्म को भी बेहतर बनाया है जो भर्ती एजेंटों, विदेशी नियोक्ताओं और प्रवासियों को एक एकीकृत डिजिटल तंत्र में जोड़ता है। साइबर क्षेत्र में, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अवैध भर्ती एजेंटों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। भारत भर से अवैध भर्ती एजेंटों के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के संबंध में प्राप्त अनुरोधों को नियमित रूप से संबंधित प्राधिकारियों के साथ साझा किया जाता है।

मंत्रालय जाली नौकरी रैकेट के खतरों और इसे रोकने के तरीकों के बारे में ई-माइग्रेट पोर्टल, सोशल मीडिया हैंडल और प्रचार के अन्य तरीकों के माध्यम से भी परामर्शी जारी करता है। देश में मौजूद अपंजीकृत एजेंटों की एक सूची भी ई-माइग्रेट पोर्टल पर अधिसूचित की गई है। मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित और वैध प्रवासन के विषय में जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिसमें मीडिया समूहों, पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, इच्छुक भर्ती एजेंटों, उद्यमियों और आम जनता के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों, सूचना सत्रों, डिजिटल अभियानों का आयोजन किया जाता है। इन सत्रों के दौरान आव्रजन विनियमों, प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), जैसी प्रवासियों के लिए लाभदायक योजनाओं, प्रस्थान पूर्व-अनुकूलन प्रशिक्षण (पीडीओटी), ई-माइग्रेट पोर्टल और भारतीय दूतावासों द्वारा जारी विभिन्न परामर्शियों के बारे में जागरूकता नौकरी के इच्छुक सभी हितधारकों के संज्ञान में लाई जाती है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार के रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व भर्ती एजेंटों के सभी पूर्ववृत्तों को सत्यापित करें और नौकरी के फर्जी प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं।

*****